30 JUN 2022

।। वन्दे मातरम् ।।

राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी

Nationalist Janshakti Party

दिनांक : 22/06/2022

न्यवर,

मा.मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तर प्रदेश.

विषय : विधान सभा निवार्चन व्यय के संबंध में।

संदर्भ क्र.: 1442/सीईओ-2-36/2-2017 लखनऊ दिनांक 07जून, 2022

होदय,

उपरोक्त संदर्भानुसार आप के कार्यालय से दिनांक 19 जून 2022 को पत्र प्राप्त हुआ। समें निर्वाचन व्यय की जानकारी मांगी गई हैं।

आप को सविनय अवगत कराना हैं । कि पंजीकरण के समय से अबतक पार्टी लोकसभा व में 2019 में (1) उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 सीट, (2) बिहार विधानसभा में 3 सीट –वर्ष 20, (3) महाराष्ट्र विधानसभा में 1 सीट- वर्ष 2020, (4) उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1 सीट 2022, प्रत्याशी उतारी थी। पर पार्टी ने कोई व्यय नही दिया गया हैं।

सभी प्रत्याशीयों को सुचित कर दिया गया था कि अपना चुनावी व्यय जिला कार्यालय पर -समय पर चुनाव प्रर्वेक्षक को सौप दें। वार्षिक रिपोर्ट के लिये फाईल कर दिया गया हैं। लेखा क के द्वारा रिपोर्ट मिलते ही आपके कार्यालय पर प्रेषित कर दिया जायेगा। कृपया इसके लिये दिनों का समय दिया जायें।

सादर अवगत.......

राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी * N.J.P. * राष्ट्रिय महासचिव

22/06/22

श्याम नारायण चौधरी
(राष्ट्रिय महासचिव)

र्यालय : अभिनव निवास, रापतपुर, पोस्ट - बेलघाट, जिला - गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड - 273404
9415709489 / 9598178108 - Email : njpindia.org@gmail.com - Website : www.njpindia.org

93

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

1442/सीईओ–2–36/2–2017 लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2022

ं,

अध्यक्ष / महामंत्री / कोषाध्यक्ष,
Nationalist Janshakti Party,
Abhinav Niwas, Rapatpur, Belghat,
Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273404.

: **राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय की विवरणी (Statement of Election Expenditure) फाइल किये जाने के सम्बन्ध में।**

य,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहना है कि मा0 उच्चतम ालय के आदेश Common cause बनाम भारत संघ एवं अन्य (ए.आई.आर.–1996 सी 3081) के कम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रारूप निर्धारित किया गया जिसमें राजनैतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक लोक सभा/राज्य न सभा के निर्वाचन के सम्बन्ध में अपने निर्वाचन व्यय का विवरण आयोग की क्षा के लिए प्रस्तुत करें। लोक सभा निर्वाचनों के सम्बन्ध में उक्त व्यय विवरण 90 ों के अन्दर तथा विधान सभा निर्वाचनों के लिए उक्त अवधि 75 दिन निर्धारित है। रस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के कार्यालय जिस राज्य में अवस्थित हैं, ा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उक्त रिपोर्ट निर्धारित समय–सीमा के ार्गत प्रस्तुत किया जाना है। राजनैतिक दलों द्वारा फाइल किये गये विवरण को साइट पर रखा जाता है।

उक्त कम में अवगत कराना है कि आपके दल द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा ान्य निर्वाचन–2022 में प्रतिभाग किया गया है, परन्तु निर्वाचन व्यय की विवरणी atement of Election Expenditure) इस कार्यालय को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई जबकि निर्धारित समय–सीमा समाप्त हो चुकी है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के बन्ध में निर्वाचन व्यय की विवरणी (Statement of Election Expenditure) इस कार्यालय अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त विवरण को मुख्य निर्वाचन अधिकारी र्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

लग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनीष शुक्ला)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।